# भारत की राजपत्र The Gazette of India

असामार्ग

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੱ. 292] No. 292]

नई दिल्ली, सुघवार, मई 26, 2010/ज्येष्ट 5, 1932 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

### अधिसुचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

सा,का,नि. 450(अ).— पारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल मारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातु:—

- (i) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) अष्टम संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएँगे ।
- (ii) ये विनिधम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में 'राजस्थान' शीर्षक में, उसके भीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

#### राजस्थान

(1)		(2)
राज्य सरकार के अधीन चरिष्ठ ड्यूटी पद		161
सरकार के मुख्य सचिव	10.0	1
अध्यक्ष, राजस्य बोर्ड		1

(2)

अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिक	रण
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक	
एचसीएम आरआईपीए	
सरकार के प्रधान सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड	
निदेशक एचसीएम आरआईपीए	
सरकार के सचिव	- 1
प्रभागीय आयुक्त	
आयुक्त, विभागीय जांच	
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	
सदस्य, राजस्य बोर्ड	
आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास	
पातायात आयुक्त	
पंजीयक, सहकारी समितियां	
आयुक्त, श्रम एवं रोजगार	
आयुक्त,, कृषि	
आयुक्त, उत्पाद	
आयुक्त, उद्योग	
महानिदेशक, पंजीकरण एवं स्टाप्प	
पर्यटन आयुक्त	
सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड	
आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	
आवासीय आयुक्त	
सरकार के विशेष सचिव	

	(1)	(2)
	सरकार के उप-सचिव	9
	बंदोबस्त आयुक्त एवं पदेन चकबंदी निदेशक	1
	जिलाधीश एवं समाहर्ता	33
	निदेशक, बाटर शेंड विकास एवं मृदा संरक्षण	1
	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1
	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1
	निदेशक, राज्य बीमा एवं पी एफ	1
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	25
	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिन्यिक कर	2
	अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1
	पंजीयक, राजस्व बोर्ड	1
	अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य	1
	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	1
	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी	1
	सचिव, आरपीएससी	i
	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण	1
	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	1
	निदेशक, खान एवं भृविज्ञान विभाग	1
	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय प्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1
	आयुक्त, मध्यान भोजन	1
	आयुक्त, रोजगार गारण्टी योजना	
	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	1
	आयुक्त, कोलोनाईजेशन	1
	अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग विकास व्यूरो	- 8
1.	कुल वरिष्ठ इपूटी पद	161
2	सी.डी.आर उक्त मद । का 40% से	64
90	अधिक नहीं	
3.	एस.डी.आर. उक्त मद । का 25% से अधिक नहीं	40
4.	टी.आर. उपर्युक्त मद 1 का 3.5% से अधिक नहीं	5
5,	एल आर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% से अधिक नहीं	26
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति	90
	द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त भद ।, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	
7.	सीधी मर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	206
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	296

[फा. सं. 11031/01/2009-अ.भा.सं. (II)-क] हरीश चन्द्र राव, डेस्क अधिकारी टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 260 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या साका.नि. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । उत्पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित साका.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
I.	890	24-8-1974
2	978	14-9-1974
3.	1152	2-11-1974
4.	369	22-3-1975
5.	72(31)	10-2-1976
6.	588(अ)	23-8-1977
7.	807	24-6-1978
8.	628(अ)	17-11-1979
9.	763(अ)	18-12-1982
10.	768	17-10-1987
11.	493	7-9-1991
12.	238	23-5-1992 .
13.	319(अ)	31-3-1995
14.	286	12-7-1997
15.	739(अ)	31-12-1997
16.	188(34)	24-3-2009

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2010

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

 In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Rajasthan" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

# RAJASTHAN

Senior Duty Posts under the State Government	161
Chief Secretary to Government	ા
Chairman, Board of Revenue	1
Chairman, Rajasthan Civil Service Appellate Tribunal	1
Additional Chief Secretary & Ex-officio Director General, HCM RIPA	1
Principal Secretary to Government	14
Chairman, Rajasthan Tax Board	1
Director, HCM RIPA	1
Secretary to Government	19
Divisional Commissioner	7
Commissioner, Departmental Enquiries	1
Commissioner, Commercial Taxes	1
Member, Board of Revenue	7
Commissioner, Command Area Development	1
Transport Commissioner	1
Registrar, Cooperative Societies	1
Commissioner, Labour & Employment	1
Commissioner, Agriculture	1
Commissioner, Excise	1
Commissioner, Industries	1
Inspector General, Registrations & Stamps	1
Commissioner, Tourism	1
Member, Rajasthan Tax Board	1
Commissioneer, Rural Development and Panchayati Raj	1
Resident Commissioner	1
Special Secretary to Government	5
Deputy Secretary to Government	9
Settlement Commissioner & ex-officio Director of Consolidation	1
Collector & District Magistrate	33
Director, Watershed Development and Soil Conservation	1

	[No. 11031/01/2009-AIS-I	1-A]
- 3	20 1 Con 10 Con	196
	(Items 1 +2+3+4+5—6)	206
	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	90
	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	26
	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	5
	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	40
2,	CDR not exceeding 40% of Item 1 above	64
ı.	Total Senior Duty Posts	161
	Additional Commissioner, Bureau of Industrial Promotion	1
(	Commissioner, Colonization	1
1	Director, Elementary Education	1
(	Commissioner, Employment Guarantee Scheme	1
(	Commissioner, Mid-Day-Meal	1
1	Mission Director, National Rural Health Missio	n I
1	Director, Mines & Geology Department	1
1	Director, Archaeology & Museum Department	1
į	Director, Social Justice & Empowerment	1
	Secretary, RPSC	1
1	Director, Information Technology	1
1	Director, Information & Public Relations	31
	Additional Commissioner, Food	1
1	Registrar, Board of Revenue	1
7	Additional Registrar, Co-op Societies	1
	Additional Commissioner, Commercial Taxes	2
(	CEO, Zila Parishad	25
1	Director, State Insurance & PF	1
1	Director, Women & Child Development	1
- 1	Director, Secondary Education	1

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Rajasthan IAS Cadre was 260.

Note 2: The principal Regulations were published in the

Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Rajasthan Cadre of Indian

Administrative	Service	vide	following	G.S.R.
numbers and da	tes :-			

SI. No.	G.S.R. No.	Date	SI. No.	G.S.R. No.	Date
1.	890	24-8-1974	9.	763 (E)	18-12-1982
2	978	14-9-1974	10.	768	17-10-1987
3,	1152	2-11-1974	11.	493	7-09-1991
4.	369	22-3-1975	12.	238	23-5-1992
5.	72 (E)	10-2-1976	13.	319(E)	31-3-1995
6.	588(E)	23-8-1977	14.	286	12-7-1997
7.	807	24-6-1978	15.	739(E)	31-12-1997
8.	628(E)	17-11-1979	16.	188(E)	24-3-2009

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

सा.का.नि. 451(अ),—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे ।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. पारतीय प्रशासनिक सेवा (येतन) नियमावली, 2007 में :---
  - (क) तालिका में "अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊपर के वेतन वाले पदों " में, प्रथम कॉलम में "राजस्थान सरकार" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तहरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

#### राजस्थान

सरकार के मुख्य सचिव	80,000 रूपए (नियत)
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	80,000 रूपए (नियत)
अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण	80,000 रूपए (नियत)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महनिदेशक एचसीएम आरआईपीए	80,000 रुपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 रु 79000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)

एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 रू.— 79000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
एच.ए.जी. बेतनमान : 67000 रु.— 79000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 फ.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पी.बी4 + ग्रेंड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 ह.
पी.ची4 + ग्रेंड  पे 10,000 रु.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.ची4 + ग्रेंड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेंड पे 10,000 ह.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पी.बी4 + ग्रेड में 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रू.
पी.बी4 + ग्रेड पे 10,000 रु.

(ख) 'अनुसूची-II माग ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों' में 'राजस्थान' शोर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सरकार के विशेष सचिव

सरकार के उप-सचिव

बंदोबस्त आयुक्त एवं पदेन चकवंदी निदेशक
जिलाधीश एवं समाहतां

निदेशक, वाटर शेढ विकास एवं मृदा संरक्षण
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

निदेशक, महिला एवं बाल विकास
निदेशक, रुन्य बीमा एवं पी एफ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
अतिरिक्त आयुक्त, वाणिन्यक कर
अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां

पंजीयक, राजस्व बोर्ड
अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
सचिव, आर पी एस सी
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण
निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्थास्थ्य मिशन
आयुक्त, मध्याह मोजन
आयुक्त, रोजगार गारण्टी योजना
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
आयुक्त, कोलोनाईनेशन
अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग विकास ब्यूरो

[फा. सं. 11031/01/2009-अ.भा.से. (II)-ख] हरीश चन्द्र राय, देस्क अधिकारी

दिष्यणी: मुख्य नियम दिनांक 20-03-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तरपरचात् सं. सा.का.नि. 665 (अ) दिनांक 19-09-2008, 123 (अ) दिनांक 15-04-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ) दिनांक 21-07-2009, सं. सा.का.नि. 574 (अ) दिनांक 13-08-2009, सं. सा.का.नि. 820 दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ) दिनांक 10-02-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ) दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ) दिनांक 12-3-2010, सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 8-4-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 1-5-2010 और सं. सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 13-5-2010 द्वारा संशोधित किए गए।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2010

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

- (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. .
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules,
   2007:—

In "Scheduled II-A" posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'RAJASTHAN' occurring, in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

## RAJASTHAN

Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)
Chairman, Board of Revenue	Rs.80000(fixed)
Chairman, Rajasthan Civil Service Appellate Tribunal	Rs.80000(fixed)
Additional Chief Secretary & Ex-officio Director General, HCM RIPA	Rs.80000(fixed)
Principal Secretary to Government	HAG Scale - Rs. 67000 -79000 (annual increment @ 3%)
Chairman, Rajasthan Tax Board	HAG Scale - Rs. 67000 - 79000 (annual increment @ 3%)
Director, HCM RIPA	HAG Scale - Rs. 67000-79000 (annual increment @ 3%)
Secretary to Government	PB-4+GPRs. 10000
Divisional Commissioner	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner, Departmental Enquiries	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Commercial Taxes	PB-4+GP Rs. 10000
Member, Board of Revenue	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Command Area Development	PB-4 + GP Rs. 10000
Transport Commissioner	PB-4 + GP Rs. 10000
Registrar, Cooperative Societies	PB-4+GPRs. 10000
Commissioner, Labour & Employment	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Agriculture	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Excise	PB-4+GP Rs. 10000
Commissioner, Industries	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General, Registrations & Stamps	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Tourism	PB-4+GPRs. 10000
Member, Rajasthan Tax Board	PB-4 + GP Rs. 10000
Commissioner, Rural Develop- ment & Panchayati Raj	PB-4 + GP Rs. 10000
Resident Commissioner	PB-4+GP Rs. 10000

2017 GIJ10-2

(b) In "Schedule II—Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Rajasthan', the following shall be substituted, namely:—

Special Secretary to Government

Deputy Secretary to Government

Settlement Commissioner & ex-officio Director of Consolidation Collector & District Magistrate

Director, Watershed Development & Soil Conservation Director, Secondary Education

Director, Women & Child Development

Director, State Insurance & PF

CEO, Zila Parishad

Additional Commissioner, Commercial Taxes

Additional Registrar, Co-op. Societies

Registrar, Board of Revenue

Additional Commissioner, Food

Director, Information & Public Relations

Director, Information Technology

Secretary, RPSC

Director, Social Justice & Empowerment

Director, Archeology & Museum Department

Director, Mines & Geology Department

Mission Director, National Rural Health Mission Commissioner, Mid-Day - Meal

Commissioner, Employment Guarantee Scheme Director, Elementary Education

Commissioner, Colonization

Additional Commissioner, Bureau of Industrial Promotion

[F. No. 11013/01/2009-AIS-II-B]
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note:—The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide No. G.S.R. 213(E), dated the 20-03-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-09-2008, No. G.S.R. 123 (E), dated 15-04-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-07-2009, No. G.S.R. 572(E), dated 13-08-2009, No. G.S.R. 820, dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E),dated 10-02-2010, No. G.S.R. 102(E), dated 25-02-2010, No. G.S.R. 191(E), dated 12-03-2010, No. G.S.R. 298(E) dated 08-04-2010, No. G.S.R. 397(E), dated 01-05-2010 and No. G.S.R. 404 (E), dated 13-05-2010.